an>

Title: Need to provide reservation in promotion to the persons belonging to SC, ST and OBC.

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सदन का ध्यान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों का वरिष्ठत क्रम में पदोन्नति आरक्षण देने के लिए भारत के संविधान में संशोधन करने की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग, होमगार्ड्स विभाग, विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग में बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी/अधिकारी रिवर्ट किए गए हैं जिससे उक्त लोग पीड़ादायक ग्लानि को सहन नहीं कर पा रहे हैं और आत्महत्या की स्थिति में पहुंच गए हैं। इसलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है क्योंकि इन वर्गों के कर्मचारियों/अधिकारियों का उत्तर प्रदेश सरकार से विश्वास उठ गया है और वे सभी केन्द्र सरकार की ओर बहुत ही आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारयों/अधिकारियों को वरिष्ठता क्रम में प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए भारत के संविधान में संशोधन करने का विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत करके पारित कराने की कृपा करें। â€¦(व्यवधान)